POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
राही पोषण - देश रोशन

कार्यालय परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना, बीजापुर
जिला-बीजापुर (छ.ग.)

क्रमांक/550/स्था./परि0अधि0/कार्य0सहा0 भर्ती/2026–27 बीजापुर दिनांक 27/11/2026

आंगनबाड़ी सहायिका के पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन

——00——

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छ0ग0 इन्द्रावती भवन ब्लॉक–01 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक /IT/830/2025-WCD HOD IT SECTION IT/ नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2026 के द्वारा आ0बा0 कार्यकर्ता/सहायिकाओं के रिक्त पदों में ई भर्ती पोर्टल में माध्यम से ऑनलाईन नियुक्ति किये जाने के प्राप्त निर्देशानुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना, बीजापुर, जिला – बीजापुर अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। उक्त पद की भर्ती हेतु इच्छुक पात्र महिलायें (उसी ग्राम, पारा, वार्ड के निवासी) ई–भर्ती पोर्टल **URL-https://aww.e-bharti.in/** में दिनांक 27.11.2026 से .... 11.12.2026 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकतीं हैं। आवेदन की समस्त प्रक्रिया ई–भर्ती पोर्टल के **User Manual** में दर्शित है जिसका का उपयोग करके आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद व परियोजना कार्यालय व डाक से प्रेषित आवेदनों का स्वीकार नही किया जावेगा।

रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र.	सेक्टर	आं0बा0 केन्द्र का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	रिक्त पदो की संख्या	
					कार्यकर्ता पद	सहायिका पद
01	बीजापुर पश्चिम	गोरना 1	गोरना	मनकेली		01
02	बीजापुर पश्चिम	गुड्डीपाल स्कूलपारा	कान्दुलनार	कान्दुलनार	01	
03	बीजापुर पूर्व	कान्दुलनार मुरियापारा	कान्दुलनार	कान्दुलनार	01	

आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवश्यक अर्हताएं–

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगे।
2. यह पद पूर्णतः मानसेवी है तथा अशासकीय पद है।
3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के पद के लिए आयु सीमा 18 से 44 वर्ष की होगी। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की सूचना जारी होने के तिथि से की जावेगी। सेवा की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जाएगी। (एक वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जायेगी। 1 वर्ष से कम अनुभव की आवेदिका को आयु सीमा आयु की छूट की पात्रता नहीं होगी।)। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है, उन्हें दोबारा सेवा में नहीं लिया जावेगा। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण ही मान्य किया जावेगा।
4. आवेदाकि प्राथमिकता से उसी ग्राम की होगी। जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है या जहाँ रिक्त है आवेदिका उसी ग्प्रम की एवं नगरीय क्षेत्र के लिए उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिये। आवेदन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्नालिखित में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा :–

क. उस ग्राम/नगरीय क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसे क्रमांक को उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावें।

अथवा

ख. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथ सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में की जाने वाली नियुक्ति में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो।

टीपः– यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य हो।

5. **आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आवेदन की तिथि तक) अनिवार्य होगी–**

आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिएः–

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु	–	**12 वीं बोर्ड/ग्रेड पद्धति मूल्यांकन पत्रक उत्तीर्ण**
आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु	–	**08 वीं बोर्ड/ग्रेड पद्धति मूल्यांकन पत्रक उत्तीर्ण**

टीपः– कक्षा 8 वी मूल्यांकन ग्रेड पद्धति होने पर प्रधान पाठक का रजिस्टर के मूल्यांकन पत्रक के अनुसार प्राप्तांक/पूर्णांक प्राप्त प्रतिशत का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

उपरोक्तानुसार शहरी/ग्रामीण/आदिवासी परियोजना में आवेदिका न मिलने पर सहायिका पद हेतु शैक्षणिक योग्यता शिथिल मानकर 5 वीं बोर्ड रखी जावेगी। इस अनुसार भी कोई आवेदिका न मिलने पर शैक्षणिक योग्यता को पुनः शिथिल मानकर कम शैक्षणिक योग्यता आवेदिका के आवेदन पत्रों पर विचार किया जावेगा। साक्षर आवेदिका के लिये साक्षरता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

06. आवेदन के साथ अंकसूची/प्रमाण पत्र सहित आवश्यक सभी दस्तावेज स्व–प्रमाणित होना अनिवार्य है।

07. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अस्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसे यह शपथ पत्र देना होगा कि छः महीने में स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा अन्यथा उसकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त पानी जावेगी।

08. विधवा एवं परित्यकता महिला को मूल्यांकन में अतिरिक्त अंक की पात्रता होगी किन्तु तत्संबंध में सक्षम आदेश प्रस्तुत करना होगा।

09. गरीबी रेखा संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 2011 की जनगणना सर्वेक्षण में प्राप्त वंचन सूचकांक के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा तथा परिवार ड्राप सूची की छायाप्रति भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा।

11. दावा आपत्ति दर्ज करने हेतु प्राविधिक सूची ऑनलाईन ई–भर्ती पोर्टल में अपलोड की जावेगी अभ्यर्थी प्राविधिक सूची में अपने नाम को लिखित जानकारी व प्राप्त अंक का अवलोकन करें व किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर प्रमाण सहित निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन दावा आपत्ति प्रस्तुत करें, इस अवधि में किसी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

12. पृथक–पृथक पद हेतु पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन भरा जावें।

टीपः– परियोजना कार्यालय द्वारा ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास परियोजना, बीजापुर
जिला – बीजापुर (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक /5507/स्था./परि0अधि0/कार्य0सहा0 भर्ती/2026–27 बीजापुर दिनांक 27/11/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय, जिला बीजापुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, म.बा.वि.वि., जिला बीजापुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बीजापुर, जिला बीजापुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु।
4. सभापति, विषय समिति एवं समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं प्रचार प्रसार हेतु।
5. सर्व सेक्टर पर्यवेक्षक ..... की ओर सूचनार्थ, पत्र तामिली एवं प्रचार –प्रसार हेतु।
6. संबंधित ग्राम पंचायत ..... सरपंच /सचिव की ओर सूचनार्थ।
7. शाखा प्रभारी सूचना पटल में चस्पा कराने हेतु।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना, बीजापुर
जिला – बीजापुर (छ0ग0)